महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) –द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / राजस्थान–05 / 2019–20 दिनांकः– 04.06.2020

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषयः– दिनांक 20.02.2019 से स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जानी वाली सम्मान पेंशन एवं चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–
1. कार्यालय महालेखाकार राजस्थान, जयपुर से प्राप्त प्राधिकार क्रमांक पेंशन प्राधि./ स्टेट / एफ.एफ. / गार्ड फाइल / 2019–20 / 6803 दिनांक 12.03.2020
2. राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग के आदेश संख्या प0 / 4(4)साप्र / 6 / 2008 दिनांक 20.02.2019

उपरोक्त विषय में लेख है कि राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग जयपुर से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जानी वाली सम्मान पेंशन एवं चिकित्सा सहायता राशि में वृद्धि किये जाने संबंधी आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.agmp.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

कृपया अपने स्तर पर भुगतान संबंधी कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

3.6.2020

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / राजस्थान–05 / 2019–20 दिनांकः–

प्रतिलिपिः– कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्थान, जयपुर–302005 के पत्र दिनांक 12.03.2020 के संबंध में सूचनार्थ।

–sd/–

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर – 474002
दूरभाष : 0751–2323968
फैक्स : 0751–2432194

SP. 090, 813_938

पेंशन प्राधि./स्टेट/एफ.एफ./गार्ड फाइल/2019-20/6803

संख्या / No..........................

सत्यमेव जयते

011979

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), RAJASTHAN

दिनांक / Date 12-3-2020

महालेखाकार (लेखा एवं हक़), II
मध्य प्रदेश,
लेखा भवन, झाँसी रोड,
ग्वालियर- 474002

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अंतर्गत

विषय: दिनांक 20.02.2019 से स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन एवं चिकित्सा सहायता राशि में वृध्दि किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग ने उनके पत्र क्रमांक प.4(4)साप्र./6/2008 दिनांक 20.02.2019 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन में दिनांक 20.02.2019 से वर्तमान में मिल रही रु.20,000/- प्रतिमाह से वृध्दि कर रु.25,000/- प्रतिमाह किये जाने तथा चिकित्सा सहायता राशि रु.4,000/- प्रतिमाह से बढाकर रु.5,000/- प्रतिमाह, कुल रु.30,000/- प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति दी है ।

उक्त आदेश की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्न:उपरोक्तानुसार

PA

Sh. A.K

U -

13/3/20

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति

कार्या.महालेखाकार (ले.एवं हक.)द्वितीय,
पंजीकृत डाक
16 MAR 2020
महालेखाकार
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

U-523
19.3.2020

जनपथ, जयपुर-302005, दूरभाषः(0141) 2385431-39, फैक्सः(0141)2385263
Janpath, Jaipur- 302005, Tel.:(0141) 2385431-39, Fax : (0141) 2385263
ई मेल / E-Mail : agaerajasthan@cag.gov.in

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 4(4)साप्र/6/2008 जयपुर, दिनांक : 20-02-2019

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि एवं चिकित्सा सहायता में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.04.2013 के क्रम में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि 20,000/– को बढाकर 25,000/– रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार मात्र) प्रतिमाह किये जाने एवं चिकित्सा सहायता के रूप में वर्तमान में देय रूपये 4,000/– को बढाकर रूपये 5,000/– (अक्षरे पाच हजार रूपये मात्र) कुल 30,000/– प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति जारी होने की दिनांक अर्थात 20 फरवरी, 2019 से प्रभावी होगी।

उक्त व्यय बजट मद 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–कार्यक्रम–107–स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन आदि, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24–पेंशन एवं उपादान, (राज्यनिधि) से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग द्वारा उनकी आई0डी0 क्रमांक 101900759, दिनांक 20.02.2019 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय,

(महेश चन्द्र शर्मा) 20/2/19
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि राजस्थान राज्य से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों को बढी हुई पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था करवाएँ।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव